

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1535] No. 1535] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2016/ज्येष्ठ 27, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2016/JYAISTHA 27, 1938

# विदेश मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली 17 जून, 2016

विषयः भारतीय हज समिति में नामांकन

का.आ. 2148(अ).—अधिसूचना सं. का.आ. 2024(अ), दिनांक 9 जून, 2016 और का.आ. 2105 (अ), दिनांक 14 जून, 2016 के क्रम में तथा हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 15 के साथ पठित 3, 4, 5, 6 तथा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (iv)(क) के तहत श्री मो. इरफान अहमद को शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित हो जाने की तारीख से 8 जून, 2019 तक की अवधि के लिए भारतीय हज समिति के सदस्य के रूप में नामित करती है।

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. (18) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नवत शामिल किया जाएगा, अर्थात् :—

"(18) श्री मो. इरफान अहमद, 113-बी, अदचिनी, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली - 110017 सदस्य"

[सं. एम (हज)-1183/20/2015]

असीम आर. महाजन, संयुक्त सचिव (हज)

3091 GI/2016 (1)

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2016

## Subject: Nomination to Haj Committee of India

**S.O.** 2148(E).—In continuation of notification no. S.O. 2024 (E), dated 9th June, 2016 and S.O. 2105(E), dated 14th June, 2016 and in exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5, 6 and 8 read with Section 15 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002), the Central Government, hereby nominates Shri Mohd. Irfan Ahmed as a member of the Haj Committee of India under sub-section (iv)(a) of Section 4 of the said Act, for a period up to 8th June, 2019 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

In the said notification, serial number (18) and the entries relating thereto, shall be inserted, namely:—

"(18) Shri Mohd. Irfan Ahmed, 113-B, Adchini, Sri Aurobindo Marg, New Delhi – 110017. Member"

[No. M (Haj)-1183/20/2015]

ASEEM R. MAHAJAN, Jt. Secy. (Haj)